राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 22 / 2020 अपील

उनवान

श्री श्याम लाल गुर्जर निवासी बतकों का खेड़ा, ग्राम पंचायत दान्थल, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा	बनाम	निर्वाचक रजिस्टट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एसडीओ भीलवाडा
—अपीलाथी		—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.09.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा

उपस्थित —

1. श्री सादीर रजा अधिवक्ता — अपीलाण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.09.2020

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्व निर्णय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा निर्णय दिनांक 14.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा ने प्रार्थी के नाम जुड़वाने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिस पर प्रार्थी ने रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की थी जिसमें सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ अपीलार्थी ने डबल बैंच मे अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा इस आधार पर रीट पीटीशन वापस लेने की इजाजत दी है कि प्रार्थी फ्रेश एप्लीकेशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत एसडीओ के यहां प्रस्तुत करे जिस पर प्रार्थी ने पुनः नाम जुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2020 को प्रस्तुत किया जिसे माननीय अधिकारी ने अवैध रूप से खारिज कर दिया जो अवैध, मनमकसूद, बिना न्यायिक के पारित किया गया है। अपीलार्थी ने आवासीय निवासी श्री पृथ्वी सिंह पिता संग्राम सिंह से दिनांक 16.05.2019 से खरीद कर परिवार सहित निवास कर रहा है। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा एक खेती की जमीन रकबा 02 बीघा आराजी नम्बर 1455 ग्राम बतकों

जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

का खेडा में खरीदकर खेती कर परिवार का पालना पोषण कर रहा है। अपीलार्थी के पास गैस का कनेक्शन है जो भारत गैस ऐजेन्सी विमल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है जिसमें अपीलार्थी का पता बतकों का खेडा है। अपीलार्थी ने ग्रामवासी बालू लाल दौलत सिंह सुरेश बैरवा बद्रीलाल माली इत्यादि के शपथ पत्र प्रस्तुत जिसमें स्पष्ट रूप से अपीलार्थी बतको का खेडा निवासी है। ग्राम पंचायत दांथल पंचायत समिति सुवाणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी अपीलार्थी बतको का खेडा निवासी है। बी एल ओ द्वारा भी फार्म में दर्ज किया है कि अपीलार्थी बतकों का खेड निवासी है। आंगनबाडी कार्यकर्ता का बयान गलत है कि अपीलार्थी के बच्चों का टीकाकरण इस गांव में नही हुआ हैं, जबकि अपीलार्थी के बच्चे 15 साल की उम्र के है जिससे उनका टीकाकरण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी तहसीलदार भीलवाडा द्वारा जो जांच की गयी वह अवैध है, इसमें न तो अपीलार्थी को बुलाया गया, न ही अपीलार्थी के कोई बयान लिये गये। कुछ व्यक्ति जो प्रार्थी से जानबूझकर रंजीश रखते है, उन्होनें गलत बयानी की है। अतः निवेदन हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत एसडीओ भीलवाडा के आदेश दिनांक 14.09.2020 को निरस्त करते हुए आदेश पारित किया जावे कि अपीलार्थी श्याम लाल गुर्जर पुत्र नारायण लाल गुर्जर निवासी बतकों का खेडा ग्राम पंचायत दांथल पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा का नाम ग्राम पंचायत बतकों का खेडा में दर्ज किया जावे।

अपीलांट की अपील दिनांक 23.09.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किए। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

अपीलांट की अपील मय दस्तावेजात तथा रेस्पोडेन्ट के जवाब का अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 14.08.2020 की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा द्वारा जांच टीम का गठन किया गया। दौराने जांच टीम द्वारा स्थानीय मोतबिरान के बयान लिये गये जिनके अनुसार "श्यामलाल गुर्जर पुत्र नारायण लाल गुर्जर ग्राम पाटनिया का मूल निवासी हैं। जिनके पिता श्री नारायण लाल गुर्जर 10 वर्ष पूर्व तक दूध का व्यवसाय करते थे। इस वर्ष से ट्रैक्टर तथा जेसीबी संभालते हैं। पाटनिया ग्राम में ही उनकी पुश्तैनी जमीन हैं, जहां वह अपने परिवार सहित रहते है। ग्रामवासियों ने श्यामलाल गुर्जर को बतकों का खेडा में निवास करते नही देखा है।"

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा के जवाब अनुसार श्यामलाल गुर्जर द्वारा खरीदी गयी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1455/5 रकबा 4.00 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि दिनांक 25.02.2020 को क्रय की गयी, जो पत्रावली अनुसार पूर्व में इनका आवेदन दिनांक 09.01.2020 को अस्वीकार करने के पश्चात् क्रय की गयी है।

जांच टीम द्वारा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में दिनांक 10.09.2020 को बयान लिये गये। जिस अनुसार ''दिनांक 02.09.2020 को प्रमाण पत्र श्री श्यामलाल के निवास का जारी किया था। श्यामलाल गुर्जर द्वारा मकान खरीद एवं जमीन खरीद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर मैनें श्यामलाल गुर्जर के निवास का प्रमाण पत्र जारी किया। परन्तु श्याम लाल गुर्जर बतखों का खेडा का स्थायी निवासी नहीं हैं। इसकी पुश्तैनी जमीन व घर ग्राम पाटनिया में हैं।''

जांच के दौरान ग्राम पंचायत दांथल के वार्ड संख्या 9,10,11 के पंचायती राज चुनाव 2020 के बी.एल.ओ. के बयान लिये गये जिस अनुसार ''दिनांक 02.09.2020 को श्री श्यामलाल गुर्जर पिता नारायण लाल गुर्जर एक फार्म, फार्म नं. 01 नाम जोड़ने हेतु भर कर अपना स्वयं का नाम वार्ड नं. 11 बतकों का खेडा में क्रम संख्या 205/1 पर जुड़वाने हेतु लेकर आया तथा बी.एल.ओ. की टिप्पणी पर हस्ताक्षर करने को कहा। फार्म पर बी.एल.ओ. की टिप्पणी भी उसने स्वयं ने पहले ही भर रखी थी। मैनें फार्म देखा तथा मेरी जानकारी के अनुसार प्रार्थी श्यामलाल गुर्जर पिता नारायण गुर्जर वार्ड नं. 11 बतकों का खेडा में सामान्यतः निवास नही करता है। इसलिये मैनें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसके साथ ही उस समय नाम जोड़ने हेतु किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज भी नही था तथा नाम जोडने के लिये कोई समुचित दस्तावेज नहीं है, मना करने पर श्यामलाल गुर्जर ने हस्ताक्षर करने हेतु दबाव भी बनाया लेकिन नियमों के अनुकूल नही होने से मैनें स्पष्ट मना कर दिया। फार्म नम्बर 01 पर बी.एल.ओ. की टिप्पणी लिखी हुयी है, वह भी मैनें नहीं लिखी है। मेरी जान के अनुसार वर्तमान में भी श्यामलाल गुर्जर ग्राम बतकों का खेडा में नहीं रह रहा है।''

निर्वाचक रजिंस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी ने उक्त बी.एल.ओ. के फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म नं. 01 में बी.एल.ओ. की टिप्पणी अंकित की हैं, जो संगीन अपराध की श्रेणी में आता हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ भीलवाडा से प्राप्त जवाब अनुसार दौराने जांच इस प्रकार का कोई दस्तावेज या तथ्य या जानकारी या बयान नहीं पाये गये जिसमें इनका बतकों का खेडा का निवासी होना पाया गया हो। अपीलार्थी का गैस कनेक्शन दिनांक 22.09.2020 का है जिससे यह प्रमाणित नही होता हैं कि अपीलार्थी सामान्यतः निवासी बतकों का खेडा का है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जांच के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ता बतकों का खेडा के बयान लिये गये जिस अनुसार "श्यामलाल गुर्जर पुत्र नारायण लाल गुर्जर ग्राम बतकों का खेडा में निवास करता हुआ नहीं देखा, गांव में एक मकान पर गुर्जर भवन व इनका नाम लिखा हुआ देखा। आंगनबाडी में इनके परिवार के किसी भी सदस्य, बच्चे, महिला से संबंधित टीकाकरण या अन्य किसी प्रकार की सूचना मेरी जानकारी अनुसार इस गांव बतकों का खेडा में नहीं हैं।"

दौराने बहस अपीलार्थी स्वयं ने बताया कि अपीलार्थी का वर्तमान राशन कार्ड ग्राम पटानिया का बना हुआ हैं। ग्राम बतकों का खेडा में अपीलार्थी की कोई पुश्तैनी कृषि भूमि, मकानात, बाडे इत्यादि नहीं हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 अनुसार अपीलार्थी का नाम वोटर लिस्ट में क्रमांक 259 पर ग्राम पाटनिया वार्ड नं. 11 का निवासी होना अंकित हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के पत्रांक/4500 दिनांक 08.07.2020 अनुसार एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 21–क के अनुसार निर्वाचन हेतु लोक नोटिस जारी होने के पश्चात् नियम 20 व 21 अधीन निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने एवं किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, अंतरण एवं विलोपन के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता हैं। अतः पंचायती राज चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 16.09.2020 को ग्राम पंचायत दांथल के सरपंच एवं वार्डपंच पदों के लिये निर्वाचन हेतु लोक सूचना जारी की जा चूकी हैं। जिससे वर्तमान में प्रस्तुत अपील के संबंध में नाम सम्मिलित किये जाने बाबत् कोई निर्देश जारी नही किये जा सकने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार योग्य है। अतएव–

आदेश

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या निर्वाचन/2020/01 निर्णय दिनांक 14.09.2020 में पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही होकर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया ।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाडा